निदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना।

आदेश

स०स०–11/एफ०(स्था०)–17/2025–540(11) /स्वा0, पटना, दिनाक–08/07/2026

बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना के विज्ञापन सख्या–01/2025 के अन्तर्गत कीट सग्रहकर्ता के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशसित कुल 53 अभ्यर्थियो के अनुशसा प्राप्त हुई। उनके मूल प्रमाण–पत्रो एव वाछित कागजात का सत्यापन दिनाक–19 09 2025, 26 09 2025 एव 16 01 2026 को किया गया जिसके आधार पर कुल 53 अनुशसित अभ्यर्थियो मे से कुल 45 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। शेष 08 (आठ) अभ्यर्थी उपस्थित नही हुए। अबतक कुल 45 अनुशसित अभ्यर्थी विभागीय आदेश ज्ञापाक–18(11), दिनाक–08 01 2026 एव पत्राक–203(11), दिनाक–20 03 2026 के द्वारा विभिन्न सस्थानो मे नियुक्त करते हुए पदस्थापित किया जा चुका है।

पुन अनुशसित शेष 08 (आठ) अभ्यर्थी का मूल प्रमाण–पत्रो एव वाछित कागजात का सत्यापन दिनाक–27 05 2026 को किया गया जिसके आधार पर शेष 08 अनुशसित अभ्यर्थियो मे से कुल 02 अभ्यर्थी उपस्थित हुए एव 06 (छ) अभ्यर्थी उपस्थित नही रहने के कारण तत्काल कुल 02 अनुशसित अभ्यर्थी जिनका विभागीय जॉच समिति द्वारा शैक्षणिक योग्यता एव अन्य प्रमाण–पत्रो के सत्यापन/जॉच के पश्चात् पदस्थापन हेतु गठित समिति के द्वारा अनुशसा किया गया है, कि वैसे कुल 02 अभ्यर्थियो को कीट सग्रहकर्ता के पद पर पे0 बैड वेतन 5200–20200/–, ग्रेड वेतन 1800/– (स्तर–01) मे सशर्त औपबधिक रूप से निम्नाकित कीट सग्रहकर्ता को उनके नाम के सामने स्तम्भ–11 मे अकित फाईलेरिया नियत्रण इकाई मे अगले आदेश तक नियुक्त करते हुए पदस्थापित किया जाता है –

S N	ROLL NO	NAME OF CANDIDATE	FATHER/ HUSBAND'S NAME	HOME DISTRICT	RANK	DATE OF BIRTH	GENDER	CATEG ORY	SELEC TION CATEG ORY	PLACE OF POSTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	BTIC1422477	PRIYA MUSKAN	BIGENDRA KISHOR PRASAD	JEHANABAD	43	26-12-2005	FEMALE	BC	BC FEMALE	फाईलेरिया नियत्रण इकाई, गयाजी
2	BTIC0404801	SHWETA KUMARI	BINOD KUMAR ROY	DARBHANGA	37	21-02-2004	FEMALE	BC	WBC	फाईलेरिया नियत्रण इकाई, मधुबनी

1 नवनियुक्त कीट सग्रहकर्ता, पदस्थापन आदेश के आलोक मे नव–पदस्थापित स्थान पर पत्र निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर योगदान देना सुनिश्चित करेगे।

2 नियुक्त कीट सग्रहकर्ता का वेतन भत्ते का भुगतान उनके योगदान की तिथि से देय होगा।

3 योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, के द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र, एव दहेज न लेने एव न देने सबधी शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4 बिहार पेशन (सशोधन) नियमावली, 2005 के द्वारा प्रतिपादित वित्त विभागीय सकल्प सख्या–1964, दिनाक–31 08 2005 एव 767, दिनाक–03 07 2007 के अनुसार उन कर्मियो को नयी अशदायी पेशन योजना के अन्तर्गत रखा जायेगा।

5 यह नियुक्ति पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा मे की जा रही है। पुलिस सत्यापन के क्रम मे प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी। निकासी एव व्ययन पदाधिकारी/नियत्री पदाधिकारी/कार्यालय प्रधान का यह दायित्व होगा कि पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन (PVR) से विभाग को अवगत कराना सुनिश्चित करेगे।

6 यह नियुक्ति अभ्यर्थियो द्वारा रामर्पित शपथ--पत्र के आधार पर शैक्षणिक एव अन्य सगत प्रमाण पत्रो को सही मानकर इस शर्त पर की जा रही है कि भविष्य मे शैक्षणिक प्रमाण पत्रो/जाति प्रमाण पत्र/अन्य अभिलेखो के सबध मे गलत सूचना पाये जाने की स्थिति मे इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एव उनके विरूद्ध आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई भी की जायेगी। सबधित निकासी एव व्ययन पदाधिकारी की यह जवाबदेही होगी कि वे अपने सस्थान मे योगदान करने वाले नव–पदस्थापित कीट सग्रहकर्ता के शैक्षणिक व अन्य प्रमाण--पत्रो का विधिवत सत्यापन करायेगे।

7 नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान देने हेतु किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नही होगा।

8 नवनियुक्त कर्मियो का प्रथम वेतनादि का भुगतान निकासी एव व्ययन पदाधिकारी नवनियुक्त कर्मियो से सबधित कागजातो, यथा--पुलिस सत्यापन, शैक्षणिक प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ई0डब्ल्यू0एस0 प्रमाण–पत्र, क्रिमीलेयर रहित प्रमाण--पत्र, कार्यानुभव प्रमाण--पत्र, दिव्यागता प्रमाण–पत्र एव स्वतत्रता सेनानी के आश्रित हेतु प्रमाण--पत्रो का मूल से सत्यापन कर तथा पहचान के सत्यापन के उपरात पूर्णयता सतुष्ट होने के पश्चात् ही करेगे। कोई भी प्रमाण–पत्र गलत पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

9 वैसे अभ्यर्थी जो केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा अन्यत्र रोवा मे पूर्व से नियुक्त है, तो उनके द्वारा पदस्थापित स्थान पर योगदान के समय पूर्व नियोक्त से निर्गत अनापति प्रमाण–पत्र समर्पित करेगे।

10 सस्थानो के नियत्री पदाधिकारी, विशेष दूत भेज कर स्वास्थ्य निदेशालय से नव--पदस्थापित कीट सग्रहकर्ता का डोजियर प्राप्त कर लेगे।

11 निदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएँ से सपुष्टि/सत्यापन के बाद वेतन का भुगतान किया जायेगा।

12 नियुक्ति प्रक्रिया मे पायी गयी त्रुटि/भूल के सुधार का अधिकार विभाग को सुरक्षित रहेगा।

13 नियुक्ति पत्र/पदस्थापन आदेश विभागीय वेबसाईट *https //state bihar gov in/health* से डाउनलोड किये जा सकेगे।

7/7/26
(डॉ० प्रणय राज शरण सिन्हा)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
स्वास्थ्य सेवाए, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–11/एफ०(स्था०)--17/2025-- 540(11)/ **पटना, दिनांक**– 08/07/2026

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी/सिविल सर्जन/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गयाजी/मधुबनी,/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, फाईलेरिया नियत्रण इकाई, गयाजी/मधुबनी को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि.– कोषागार पदाधिकारी गयाजी/मधुबनी को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अपर निदेशक--सह--राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, स्वास्थ्य सेवाएँ (फा०नि०), स्वास्थ्य भवन, सुलतानगज, पटना /वित्त विभाग, बिहार, पटना, को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव,/अपर सचिव/विशेष सचिव के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– नव नियुक्त कीट सग्रहकर्ता को सूचनार्थ एव अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को स्वास्थ्य विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

7/7/26
निदेशक प्रमुख,(प्रशासन)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।